नारियल विकास बोर्ड विधेयक, 1979

1979 का 5

(17 मार्च 1979)

संघ के नियंत्रण के अधीन नारियल उद्योग के विकास और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराजाय के तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

*(3) केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 12 जनवरी 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस को उक्त अधिनियम लागू होगा।

संघ द्वारा नियंत्रण समीचीन है इसके बारे में घोषणा

2. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित के लिए यह समीचीन है कि नारियल उद्योग को संघ अपने नियंत्रण में ले ले।

परिभाषाएं

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "बोर्ड" से धारा 4 के अधीन स्थापित नारियल विकास बोर्ड अभिप्रेत हैं;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत हैं;

(ग) "नारियल" से नारियल वृक्ष का फल अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कच्चा नारियल, पक्का नारियल और खोपरा भी हैं;

स्पष्टीकरण - "नारियल वृक्ष" से अभिप्रेत है, *कोकोस न्यूसिफेरा फिनी* नामक नारियल वृक्ष;

(घ) "नारियल उद्योग" के अन्तर्गत -

(i) कयर उद्योग, या

(ii) नारियल तेल से उत्पाद (जिसमें उत्पाद भी हैं) विनिर्मित करने वाला कोई उद्योग, नहीं हैं;

(ङ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II- खंड 3 - उप खंड (i) में जी.एस.आर.12(ई) दिनांक 12.01.1981 के तहत प्रकाशित

अध्याय 2

नारियल विकास बोर्ड

बोर्ड की स्थापना और गठन

4. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा जो नारियल विकास बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम को एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुदा होगी और जिस स्थावर और जंगम सम्पत्ति के अर्जन, धारणा और व्ययन करने की और संविदा करने का शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

*(3) केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय केरल राज्य के कोचिन में होगा।

(4) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) एक अध्यक्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

**(ख) भारत सरकार का उद्यान कृषि आयुक्त, पदेन;

(ग) केन्द्रीय बागान उपज अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) का निदेशक, पदेन;

(घ) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन गठित कयर बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन;

(ङ) संसद के तीन सदस्य, जिसमें से दो लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(च) दो सदस्य, जो निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने केलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्-

(i) राजस्व; और

(ii) नागरिक पूर्ति और सहकारिता;

(छ) तीन सदस्य, जो बडे पैमाने पर नारियल उपजाने वाले केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक के लिए एक-एक नियुक्त किए जाएंगे;

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II- खंड 3 - उप खंड (i) में जी.एस.आर.12(ई) दिनांक 12.01.1981 के तहत प्रकाशित

**नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1987 (1987 - संख्या 21) द्वारा प्रतिस्थापित किया हुआ।

(ज) पाँच सदस्य, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पोंडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने केलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम से बारी-बारी से नियुक्त किए जाएंगे;

(झ) चार सदस्य, जिनमें से केरल राज्य के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने केलिए दो तथा तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने केलिए प्रत्येक राज्य केलिए एक-एक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

(ञ) एक सदस्य, जो नारियल प्रसंस्करण उद्योग का प्रतिनिधित्व करने केलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ट) दो सदस्य, जो नारियल उद्योग से संबंधित ऐसे अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने केलिए केन्दीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिसका प्रतिनिधित्व उस सरकार की राय में किया जाना चाहिए।

परन्तु खण्ड (छ) और (ज) के अधीन हर नियुक्ति यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सिफारिश पर की जाएगी।

(5) बोर्ड अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगा, जो अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसे विहित किये जायें या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(6) सदस्यों की पदावधि और सदस्यों में हुई रिक्तियों भरने की रीति और उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

(7) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को, जो बोर्ड का सदस्य नहीं है, जब उसे इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने का और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

(8) बोर्ड ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ सहयोजित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का पालन करने में बोर्ड वांछा करता है और इस प्रकार

सहयोजित व्यक्ति को बोर्ड के ऐसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा जो ऐसे प्रयोजनों से जिसके लिए वह सहयुक्त किया गया है, सुसंगत है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह ऐसै भत्ते या फीस पाने का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

(9) बोर्ड का या धारा 9 के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही -

(क) बोर्ड या ऐसी समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि; या

(ख) बोर्ड या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि; या

(ग) बोर्ड या ऐसी समिति की प्रक्रिया में मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालने वाली किसी अनियमितता, के कारण अविधिमान्य न होगी।

(10) बोर्ड ऐसे स्थानों और समयों पर अपने अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कामकाज के संचालन के बारे में (जिसके अंतर्गत अधिवेशनों में गणपूर्ति है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में उपबंधित किए जाएं।

अध्यक्ष का वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्त तथा सदस्यों के भत्ते

5. (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य विषयों की बाबत सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं।

(2) बोर्ड के सदस्य ऐसे भत्ते पाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाएं।

सदस्यों द्वारा पदत्याग

6. कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद को त्याग सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृन्द

7. (1) अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यपालक भी होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

(2) केन्द्रीय सरकार मुख्य नारियल विकास अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करोगा जो विहित किए जाएं या जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त मुख्य नारियल विकास अधिकारी को बोर्ड तथा धारा 9 के आधीन नियुक्त उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार बोर्ड का एक सचिव नियुक्त करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो बोर्ड अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(5) मुख्य नारियल विकास अधिकारी और सचिव ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि या अन्य विषयों की बाबत सेवा ऐसी शर्तों के अधीन रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं।

(6) ऐसे नियंत्रण और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसे विहित किए जाएं, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, सेवा की शर्तें और वेतनमान और भत्ते वे होंगे जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में बोर्ड द्वारा उपबंधित किए जाएं।

(7) बोर्ड का अध्यक्ष, मुख्य नारियल विकास अधिकारी, सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों से असंसक्त किसी काम को अपने हाथ में नहीं लेंगे।

बोर्ड के कर्मचारियों के अन्तरण के लिए विशेष उपबन्ध

8. (1) बोर्ड की स्थापना पर केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा और उस तारीख या उन तारीखों से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, जो बोर्ड की स्थापना की तारीख के ठीक पहले नारियल विकास निदेशालय में उस रूप में पद धारण कर रहा था, निगम को अन्तरित कर दे:

परन्तु जिस पद पर ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी का अन्तरण किया जाता है उसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से कम नहीं होगा जिससे वह ऐसे अन्तरण के ठीक पहले धारण कर रहा था और जिस पद पर उसका अन्तरण किया जाता है उस पद की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें (जिन के अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और चिकित्सा सुविधाएं भी है) उसके द्वारा ऐसे अन्तरण के ठीक पहले धारित पद से सम्बधित सेवा के निबन्धनों और शर्तों से कम लाभप्रद नहीं होंगी:

परन्तु यह और कि यदि उसके अन्तरण के ठीक पहले कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर या तो छुट्टी से हुई रिक्ति में या किसी विनिर्दिष्ट अवधि की किसी रिक्ति में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है तो अन्तरण पर उसके वेतन और अन्य भत्तों को, यदि कोई हों, ऐसी रिक्ति की असमाप्त अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा और उसके पश्चात वह केन्द्रीय सरकार के अधीन उस पद को लागू होनेवाले वेतनमान का हकदार होगा जिस पर वह पदावनत हो कर जाता।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी किए जाने के पहले नारियल विकास निदेशालय के सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और ऐसे समय के भीतर जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, यह विकल्प दिया जाएगा कि वे यह बताएं कि वे बोर्ड के कर्मचारी बनने के लिए रजामन्द हैं या नहीं और एक बार विकल्प का प्रयोग करने पर वह अन्तिम होगा:

परन्तु उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नारियल विकास निदेशालय के किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के सम्बन्ध में जारी नहीं किया जाएगा जिसने इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर बोर्ड का कर्मचारी न होने के अपने आशय की प्रज्ञापना दे दी है:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त निदेशालय में नियोजित ऐसे व्यक्तियों के साथ जो उस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर बोर्ड के कर्मचारी बनने का अपना आशय प्रकट नहीं करते हैं उसी रीति से और उन्हीं नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा जो रीति और जो नियम केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को लागू होते हैं। जिनका नियोजन करने वाले विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाती है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा अन्तरित अधिकारी या कर्मचारी, अन्तरण की तारीख से ही केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं रहेगा और ऐसे अभिधान से, जो बोर्ड अवधारित करे, बोर्ड का अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा तथा उपधारा (1) के प्रथम और द्वितीय परन्तुक के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों से पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें (जिनके अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और चिकित्सीय सुविधाएं भी हैं) के बारे में शासित होगा और बोर्ड का अधिकारी या अन्य कर्मचारी बना रहेगा जब तक कि उसका नियोजन बोर्ड द्वारा सम्यक्त समाप्त न कर दिया जाए:

परन्तु जब तक बोर्ड के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों को शासित करने वाले ऊपर विनिर्दिष्ट विनियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सुसंगत नियम और आदेश ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को लागू होते रहेंगे।

(4) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या बोर्ड द्वारा किसी विषय के बारे में, जिसके अन्तर्गत पारिश्रमिक, पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, बनाए गए विनियम उन विनियमों से कम लाभप्रद हैं जो उस अधिकारी या अन्य कर्मचारियों को बोर्ड को उसके अन्तरण के ठीक पहले लागू होते थे तो इस विषय में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

बोर्ड की समितियां

9. (1) बोर्ड ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन और उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

(2) बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह उतनी संख्या में, जितनी वह ठीक समझे, अन्य व्यक्तियों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित कर ले और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित व्यक्ति समिति के अधिवेशनों में ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाए।

बोर्ड के कृत्य

10. (1) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन नारियल उद्योग के विकास की ऐसे उपायों द्वारा वृद्धि करे जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें निर्दिष्ट उपायों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा -

(क) नारियल उद्योग के विकास के लिए उपाय करना जिससे कृषक, विशेषकर छोटे कृषक नारियल उद्योग के विकास और वृद्धि में भाग ले सकें और उसके हिताधिकारी हो सकें;

(ख) भारत में नारियल और उसके उत्पाद के विपणन में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ग) नारियल की खेती या नारियल और उसके उत्पादों के प्रसंस्करण या विपणन में लगे हुए किसी व्यक्ति को तकनीकी सलाह देना;

(घ) नारियल उद्योग की वृद्धि में सुधार लाने की दृष्टि से अधिक उत्पादन करनेवाले संकर नारियल के विकास के लिए नारियल की खेती के विकसित तरीकों को अपनाने के लिए नारियल के प्रसंस्करण के आधुनिक प्रौद्योगिकी को ग्रहण करने के लिए तथा नारियल की खेती के क्षेत्र विस्तार के लिए (जिसके अन्तर्गत पुन: पेड़ लगाना भी है), वित्तीय या अन्य सहायता देना;

(ङ) नारियल उगाने वालों को उत्साहवर्द्धक कीमतें प्राप्त करने के लिए ऐसे उपाय करना जो व्यावहारिक हों और ऐसे उपायों में जब आवश्यक हो तब यह भी सिफारिश करना कि नारियल और उसके उत्पादों केलिए न्यूनतम और अधिकतम कीमतें क्या हो;

(च) नारियल और उसके उत्पादों के आयात और निर्यात के विनियमन केलिए उपायों की सिफारिश करना;

(छ) नारियल उगाने वालों, नारियल के व्यवहारियों, नारियल के उत्पादों के विनिर्माताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जो विहित किए जाएँ नारियल उद्योग से संबंधित किसी विषय पर आंकडे संग्रह करना और इस प्रकार संगृहीत आंकड़ों या उनके किसी भाग या उनसे उद्धरणों को प्रकाशित करना;

(ज) नारियल और उसके उत्पादों के लिए श्रेणियाँ, विनिर्देश और मानक तय करना;

(झ) केन्द्रीय सरकार और उन राज्यों की सरकारों से, जिनमें बड़े पैमाने पर नारियल उगाया जाता है, परामर्श करके उचित योजनाओं का वित्तपोषण करना जिससे नारियल के उत्पादन में वृद्धि हो और नारियल की गुणवत्ता और उपज की उन्नति हो और इस प्रयोजन के लिए पुरस्कार देने या नारियल उगाने वालों को और उसके उत्पादों का विनिर्माण करने वालों को प्रोत्साहन अनुदान देने तथा नारियल और उसके उत्पादों के लिए विपणन सुविधाएँ देने के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ञ) नारियल और उसके उत्पादों के संबन्ध में कृषिक, प्रौद्योगिक, औद्योगिक या आर्थिक अनुसंधान के लिए ऐसी सहायता या प्रोत्साहन देना, या संवर्धन या वित्तपोषण करना जो बोर्ड उपलब्ध संस्थाओं का उपयोग करके ठीक समझे;

(ट) नारियल और उसके उत्पादों के अनुसन्धान और विकास के लिए ऐसा प्रचार करना और ऐसे कालिक पत्र, पुस्तकें या बुलेटिन प्रकाशित करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(ठ) नारियल और उसके उत्पादों के उत्पादन, श्रेणीकरण और विपणन के संवर्धन और विकास के लिए नारियल उपजाने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बोर्ड के कृत्य के दक्ष निर्वहन के लिए और उद्देश्यों की पूर्ति केलिए प्रादेशिक कार्यालयों और अन्य अभिकरणों की स्थापना करना;

(ड) ऐसे अन्य उपाय करना, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे राज्यों की सरकारों से, जिनमें बड़े पैमाने पर नारियल उगाया जाता है, परामर्श करके विहित किए जाएं।

(3) बोर्ड इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का पालन ऐसे नियमों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं।

बोर्ड का विघटन

11. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और उन कारणों से, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जायेंगे, यह निदेश दे सकेगी कि बोर्ड का ऐसी तारीख से और ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जोयें, विघटन कर दिया जाएगा;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने के पहले केन्द्रीय सरकार बोर्ड को प्रस्थापित विघटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगी और बोर्ड के अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन बोर्ड का विघटन कर दिया जाता है तब -

(क) सब सदस्य इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, विघटन की तारीख से ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद खाली कर देंगे;

(ख) विघटन की अवधि के दौरान बोर्ड की सब शक्तियों का प्रयोग और सब कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और उनका पारिश्रमिक ऐसा होगा जैसा विहित किया जाए;

(ग) बोर्ड में निहित सब निधियों और अन्य सम्पत्ति, विघटन की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सरकार में निहित रहेंगी; तथा

(घ) विघटन की अवधि समाप्त होते ही, बोर्ड का पुनर्गठन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय 3

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

12. केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद् द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् बोर्ड को ऐसी धन राशियां अनुदान या उधार के रूप में दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

नारियल विकास निधि का गठन

13. (1) नारियल विकास निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे -

***(क)** छोडा हुआ।

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान या उधार;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अनुदान या उधार जिसमें धारा 14 के अधीन उधार सम्मिलित है;

(घ) राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों या अन्य संस्थाओं से कोई अनुदान या संदानः

परन्तु निधि में ऐसा कोई अनुदान, उधार या संदान केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके ही जमा किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) निधि का उपयोजन -

(क) धारा 10 में निर्दिष्ट उपायों की लागत चुकाने के लिए;

(ख) बोर्ड के, यथास्थिति, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक चुकाने के लिए;

(ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक खर्चों और इस अधिनियम द्वारा, या इसके अधीन प्राधिकृत किन्हीं अन्य खर्चों को चुकाने के लिए;

(घ) अन्य उधारों का प्रतिसंदाय करने के लिए; किया जाएगा।

बोर्ड की उधार लेने की शक्तियां

14. (1) केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए और उसके पूर्वानुमोदन से बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के क्रियान्वयन करने के प्रयोजनों के लिए धन उधार ले सकेगा -

(क) जनता से ऐसे बन्धपत्रों या डिबेंचरों या दोनों का, जिस पर उस दर से ब्याज होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, पुरोधरण या विक्रय कर के;

*****कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उन्मूलन) अधिनियम, 1987 (1987 - संख्या 4) द्वारा छोडा हुआ।

(ख) किसी बैंक या अन्य संस्था से;

(ग) ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण, संगठन या संस्था से जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएँ।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा उधार लिए गए धन के प्रतिसंदाय और उन पर ब्याज और अन्य आनुषंगिक प्रभारों के संदाय के लिए प्रत्याभूति दे सकेगी।

लेखा और लेखापरीक्षा

15. (1) बोर्ड उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की और बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के संबन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबन्ध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं और विशेषतया उन्हें बहियों, लेखाओं, सम्बद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेज़ों और कागज़ पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बोर्ड के लेखे और उनकी परीक्षा की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष भेजी जाएगी और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 4
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश

16. बोर्ड ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए उसे समय-समय पर दे।

विवरणियां और रिपोर्ट

17. (1) बोर्ड केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाएँ या जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, ऐसी विवरणियां और विवरण तथा नारियल उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम के बारे में ऐसी विशिष्टियाँ देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने क्रियाकलापों का एक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार को उसकी जानकारी और निदेश के लिए देगा।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड, यथासम्भव शीघ्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख को, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को देगा जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूरा वृत्तांत होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

सद्भाव-पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

18. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव-पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड के या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के अथवा बोर्ड के या ऐसी समिति के किसी सदस्य के अथवा केन्द्रीय सरकार या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी के अथवा केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

19. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) ऐसे नियम विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सब विषयों और उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग और वे कृत्य जिनका पालन बोर्ड का उपाध्यक्ष, धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन करेगा;

(ख) सदस्यों की पदावधि, उन में रिक्तियों के भरने की रीति और सदस्यों द्वारा धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) वह रीति जिसमें और वे प्रयोजन जिनके लिए बोर्ड किसी व्यक्ति को धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन सहयुक्त कर सकेगा;

(घ) वे शक्तियां जिनका प्रयोग और वे कर्तव्य जिनका पालन अध्यक्ष बोर्ड के मुख्य कार्यपालक के रूप में धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कर सकेगा;

(ङ) वे शक्तियां जिनका प्रयोग और वे कर्तव्य जिनका पालन बोर्ड का मुख्य नारियल विकास अधिकारी धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन कर सकेगा;

(च) वे शक्तियां जिनका प्रयोग और वे कर्तव्य जिनका पालन बोर्ड का सचिव धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन कर सकेगा;

(छ) वे नियंत्रण और निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुए अधिकारी और अन्य कर्मचारी धारा 7 की उपथारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे;

(ज) वह प्ररूप जिसमें नारियल विकास निदेशालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अपना विकल्प दे सकेंगे;

(झ) नारियल उद्योग से संबंधित किसी विषय के बारे में आंकडों का धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन संग्रहण;

(ञ) वे विषय जिनके संबंध में बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन उपाय करे;

(ट) धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को सदैव पारिश्रमिक और अन्य भत्ते;

(ठ) वह प्ररूप जिसमें धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के लेखे रखे जाएंगे;

(ड) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जब बोर्ड केन्द्रीय सरकार को धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियाँ और रिपोर्ट दे सकेगा;

(ढ) वह प्ररूप जिसमें और वह तारीख जिनके पूर्व बोर्ड केन्द्रीय सरकार को अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन दे सकेगा;

(ण) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाना है या किया जाए।

विनिमय बनाने की शक्ति

20. (1) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन सब विषयों का उपबन्ध करने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित में से सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों का समय और स्थान और उनमें अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उन सदस्यों की संख्या जिनसे धारा 4 की उपधारा (9) के अधीन अधिवेशन की गणपूर्ति होगी;

(ख) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग उनकी सेवा की शर्तें और वेतनमान और भत्ते;

(ग) साधारणतया बोर्ड के क्रियाकलापों के दक्ष संचालन के लिए।

(3) केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा मंजूर किए गए किसी विनियम को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपांतरित या विखण्डित कर सकेगी और इस प्रकार उपांतरित या विखण्डित विनियम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव होगा किन्तु ऐसे किसी उपांतरण या विखण्डन का उस विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना

21. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

आर.वी.एस. पेरी शास्त्री,
सचिव, भारत सरकार